न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री मुरारीलाल शर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 30/2019

दिनांक–12.12.2019

श्री मुंगाराम पुत्र श्री हेतराम उर्फ हीराराम जाति गुर्जर निवासी परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

– प्रार्थी

बनाम

राजस्थान–सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़

–अप्रार्थी

वकील वादी : – श्री जयपाल सिंह
वकील प्रति. :– राज. पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.ले.रे.एक्ट 1956

:: निर्णय ::

दिनांक :–31.01.2020

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम परसरामुपरा की सरहद में भूमि खाता संख्या नया 258 पुराना 213 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 1833/0.04, 1834/1.04, 1835/0.230, 1836/0.29, 1837/0.15, 1838/0.03 कुल किता 6 कुल रकबा 1.78 हैक्टर जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा है। उक्त खसरा भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम मूंगाराम पुत्र हेताराम की जगह हेता स्थित है, जबकि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम मूंगाराम पुत्र हीराराम है। जिसके लिए उक्त प्रार्थना पत्र राजस्व रिकार्ड में नाम शुद्धि के लिए पेश करना आवश्यक हुआ।

प्रार्थी के आधार कार्ड, राशनकार्ड, वोटर आई.डी. कार्ड, शिक्षा के डॉक्यूमेंट सभी में मूंगाराम पुत्र हीराराम है। जबकि राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी में खाता संख्या नया 258 पुराना 213 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 1833/0.04, 1834/1.04, 1835/0.230, 1836/0.29, 1837/0.15, 1838/0.03 कुल किता 6 कुल रकबा 1.78 हैक्टर में मूंगाराम पुत्र हीराराम दर्ज होना चाहिए। उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सही नही दर्ज होने के कारण प्रार्थी को काफी परेशानी हो रही है। प्रार्थी कोई भी सरकारी लाभ नही ले पा रहा है। जिसके कारण प्रार्थी अपने पिता का नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में अपना नाम मूंगाराम पुत्र हेता की शुद्धि कराने के लिए उक्त प्रार्थना श्रीमानजी की सेवामें पेश कर रहा है।

प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण गलत दर्ज हुआ है, जो गलती सहंवन के कारण जिसकों दुरूस्त किया जाना अति–आवश्यक है। जिसे प्रार्थी को किसी

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

प्रकार की परेशानी नही हो प्रार्थी अपने सही नाम का फायदा उठा सके। प्रार्थी पूर्ण कोर्ट फीस पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है तथा प्रार्थना पत्र सुनने का श्रीमानजी को पूर्ण क्षेत्राधिकार है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष चाहा है कि ग्राम ग्राम परसरामपुरा पटवार हल्का परसरामुपरा की सरहद में भूमि खाता संख्या 258 पुराना 213 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 1833/0.04, 1834/1.04, 1835/0.230, 1836/0.29, 1837/0.15, 1838/0.03 कुल किता 6 कुल रकबा 1.78 हैक्टर में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा है। उक्त खसरा नम्बर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम मूंगाराम पुत्र हीराराम के स्थान पर हेता स्थित है। जबकि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम मूंगाराम पुत्र हीराराम है जिसको इसी अनुसार शुद्धि करने के लिए श्रीमान तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी की जावें तथा प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में मूंगाराम पुत्र हीराराम दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी अप्रार्थी की गई। अप्रार्थी राज पैरोकार उपस्थित। राज पैरोकार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम परसरामपुरा के खाता संख्या 258 पुराना 213 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 1833/0.04, 1834/1.04, 1835/0.230, 1836/0.29, 1837/0.15, 1838/0.03 कुल किता 6 कुल रकबा 1.78 हैक्टर में मूंगा पुत्र हेता हिस्सा 1/3 जाति गुर्जर दर्ज रिकार्ड है परन्तु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पहचान पत्र राशनकार्ड आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक तथाआम चौक में पूछ–ताछ से पता चला कि प्रार्थी का सही नाम मूंगाराम पुत्र हीराराम जाति गुर्जर है। राजस्व रिकार्ड में जमाबंदी में दर्ज गलत नाम मूंगा पुत्र हेता के स्थान पर मूंगाराम पुत्र हीराराम दर्ज किया जाने की दुरूस्ती करने की सहमति प्रदान की गई है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के शैक्षिक दस्तावेजात, व राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, अधार कार्ड, तथा मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम परसरामपुरा पटवार हल्का परसरामपुरा की सरहद में भूमि खाता संख्या 258 पुराना 213 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 1833/0.04, 1834/1.04, 1835/0.230, 1836/0.29, 1837/0.15, 1838/0.03 कुल किता 6 कुल रकबा 1.78 हैक्टर में प्रार्थी का हिस्सा 1/3 में प्रार्थी का नाम मूंगा पुत्र हेता के स्थान पर मूंगाराम पुत्र हीराराम दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है, तथा तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। खर्चा अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक **31.01.2020** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारीलाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2020.02.14 13:56:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: